


कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) मेरठ छावनी -250001

सं.प्रशा./हि.क./8038/आदेश

दिनांक- 05.08.2016

व्यक्तिशः आदेश

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा नियम,1976 के नियम 10(4) का प्रयोग करते हुए (कार्यालय का नाम).....
राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। चूंकि आप हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः मैं डी.आर. नेगी, संगठन प्रमुख की हैसियत से आपको यह आदेश देता हूँ कि आप अपना समस्त सरकारी कार्य अनिवार्य रूप से हिन्दी में करें :


5/8/16

(डी.आर. नेगी)

रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना)

0121-2643406

सेवा में,

आवश्यक /महत्वपूर्ण परिपत्र


सं.प्रशा./हि.क./8038/आदेश.
कार्यालय र.ले.नि.(सेना),
मेरठ छावनी.
दिनांक:- 03-08-2016

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी
संगठन के सभी अधीनस्थ कार्यालय

विषय:- राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी करना ।

इस संगठन के सभी अधीनस्थ कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित हैं । अतः आपको राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत नियंत्रक महोदय द्वारा अनुमोदित व्यक्तिशः आदेश की दो प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि आप एक प्रति स्वयं अपने पास रखें तथा दूसरी प्रति पर प्राप्ति- स्वरूप अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय को भेजें ताकि उसे अभिलेख में रखा जा सके जिससे राजभाषा निरीक्षण के समय इसे निरीक्षण अधिकारी को भी प्रस्तुत किया जा सके ।

संलग्नक : यथोपरि ।



(कुँअर पाल)
सहायक निदेशक (राजभाषा)